32

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1872—दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05—06—2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला— सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ—74/2013—14

....

1. तारावती पुत्री गोकरण साहू
2. जीवन कुमार पिता रामसेवक वैश्य सा. बहेरीकला
3. मीना कुमारी पिता रामसेवक वैश्य सा. बहेरीकला
4. सुनीता पिता रामविचारे शाह सा. कटौलीश
5. राजकुमार पिता रामविचारे कश्यप क टौली
6. विजय कुमार पिता रामविचारे शाह कटौली
7. सुमित्रा पुत्री रामकिशन साहू सा. ढोटी
8. गौरा देवी पुत्री मेरा प्रसाद वर्मा
9. रामकेश पिता धनुकधारी तेली
10. उत्तम सिंह पिता रामकिशोर सिंह चन्देल सा. प्रतापपुर
11. सुब्बेलाल पिता पन्नेलाल बैस सा. ढोटी
12. रामकुसल पिता रामदत्त वैश्या सिद्धीखुर्द
13. दुर्गाशंकर पुत्री रामकिशन साहू ग्राम ढोटी
14. लालजी पिता सुमेर साहू
15. देवसरन पिता लालजी साहू
16. प्रमिला पिता लालजी साहू नाबा. सं. भाई देवसरन पिता लालजी साहू
17. प्रमिला पिता लालजी साहू नाबा. सं. भाई देवसरन पिता लालजी साहू
18. देवेश कुमार पिता शत्रूहन लाल जायसवाल सा. खैराही
19. रामसजीवन पिता मुन्नीलाल वर्मा
20. सिवबचनी पुत्री मनराखन साहू
21. शशिकांत पिता रामलखन गुप्त सा. रामगढ़ तहसील—चुरहट
22. अनिल कुमार पिता रामलखन गुप्ता रामगढ़ तहसील—चुरहट
23. अतुल कुमार पिता रामस्वरूप तिवारी सा. मेढौली
24. बबुआराम पिता तीरथ राम वैश्य सा. बहेरी कला
25. संजय कुमार पिता कैलाश प्रसाद वैश्य सा. बहेरी कला
26. संदीप कुमार पिता रामजतन वैश्य सा. मलगो
27. सीताराम पिता भगवानदास गुप्ता सा. शक्तिनगर उ.प्र.
28. श्यामसुन्दर, माता सुगंधी पिता राममनोहर साहू सा. खुटार
29. अनिल कुमार माता सुगंधी पिता राममनोहर साहू सा. खुटार
30. ददई प्रसाद पिता गनपत प्रसाद दुबे सा. गनियारी
31. निरपेश पिता ग्याप्रसाद तिवारी सा. मुगवारी

9

32.कमलेश पिता देवीदयाल वर्मा सा. बनौली
33.सुरेश पिता देवीदयाल वर्मा सा. बनौली
34.मानकुंवर पिता रामलाल साहू सा. डोगरी
35.पीयूष कुमार पिता राममनोहन माता मानकुंवर
36.राकेश कुमार पिता राममनोहन माता मानकुंवर
37.छोटे पिता धनपत साहू नाबा. बलीराम विचारे साहू सा. कटौली
38.सीमा पुत्री रामलखन गुप्ता सा. सेमरिया
39.विष्णुकांत पिता गणपत द्विवेदी सा. माडा तहसील गोपदबनास
40.प्रदीप कुमार पिता ए.पी. शुक्ला सा. हर्रई पूर्व
41.उमेश पिता भोला साहू
42.नन्दलाल पिता भोला साहू
43.अस्वनी कुमार पिता नन्दलाल पटेल सा. बडोखर तह0 चुरहट
44.श्रीमती सोनमती पत्नी भगवानदास साहू
45.जीरमती पत्नी छोटेलाल साहू
46.राजकुमार पिता छोटेलाल साहू
47.मूलचन्द पिता छोटेलाल साहू
48.श्रीमती लीला पत्नी राजकुमार साहू सा. भाजन
49.कमलकेश सिंह पिता जयप्रयाग सिंह सा. रम्पा
ग्राम रम्पा, पो0 रजमिलान, तह0 माडा, जिला सिंगरौली
50.ओमप्रकाश नारायण सिन्हा सज्जनलाल खण्डेलवाल
51.हरीश खण्डेलवाल पिता सज्जनलाल खण्डेलवाल
52.सेतबन्धु पिता कृपाशंकर शुक्ला सा. एसार पावर लिमिटेड
53.श्रीमती अन्जूलता पत्नी संग्राम सिंह उर्फ नीलू सिंह
54.भीष्म नारायण सिंह पिता संग्राम सिंह
नाबा. बली माता अन्जूलता सिंह सा. प्रतापपुर
55.अमनराज सिंह पिता संग्राम सिंह
नाबा. बली माता अन्जूलता सिंह सा. प्रतापपुर
56.रवि कुमार पिता कमला प्रसा वैश्य नाबा. बली पिता कमला प्रसाद
पिता बालक राम वैश्य सा. मलगो सिंगरौली
57.गंगाप्रसाद पिता रामलेखावन साहू सा. डोगरी
58.पुनीत कुमार पिता धनपत साहू सा. कटौली
59.श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी राजेश सिंह सा. प्रतापपुर
60.उमेश कुमार पिता गंगा प्रसाद साहू
61.विमल कुमार पिता गंगा प्रसाद साहू
62.विमला वर्मा पति राजेश कुमार वर्मा सा. विन्ध्य नगर
63.रामभवन पिता बुधराम साहू सा. डोगरी
64.सुरेन्द्र कुमार पिता बुधराम साहू सा. डोगरी
65.राममिलन पिता लालजी साहू
66.श्याम सुन्दर पिता लालजी साहू
67.छोटेलाल पिता मटुक तेली सा. वेलौजी तेलियान

68.रामप्रकाश पिता छोटेलाल साहू सा. वेलौंजी तेलियान
69.जयप्रकाश पिता छोटेलाल साहू सा. वेलौंजी तेलियान
70.राधाकृष्ण पिता छोटेलाल साहू सा. वेलौंजी तेलियान
71.ओमप्रकाश पिता छोटेलाल साहू सा. वेलौंजी तेलियान
72.संदीपनाथ पिता राजेन्द्र नाथ गोस्वामी सा. असनी
73.दीपक कुमार पिता नारेन्द्र प्रसाद सोनी सा. रजमिलान
74.शांति पुत्री छोटेलाल साहू सा. विलौंजी तेलियान
75.फूलमती पुत्री छोटेलाल साहू सा. वेलौंजी तेलियान
76.उर्मिला देवी पुत्री छोटेलाल साहू
ना.स. पिता छोटेलाल तेली साहू सा. वेलौंजी
77.दीपक कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी सा. असनी
78.गौरादेवी पिता मेरा प्रसाद साकेत
79.किसमतिया पति गंगा प्रसाद साहू
80.गजरूप सिंह पिता महावीर सिंह गौड सा. डोंगरी
81.श्रीमती पूर्णिमा पति विश्वतीत मंडल सा. राजमिलन
तहसील देवसर, जिला–सिंगरौली, म0प्र0

.... आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली

.... अनावेदक

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण,
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/7/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला–सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, देवसर जिला सिंगरौली को भ्रमण के दौरान ग्रामिणों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम डोंगरी तहसील सरई की

कतिपय शासकीय भूमियों के अभिलेखों में हल्का पटवारी द्वारा कई व्यक्तियों का निजी भूमिस्वामी स्वत्व बगैर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के ही अनाधिकृत रूप से दर्ज कर दी गई है। उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार, सरई से कराई गई। तहसीलदार सरई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के आधार पर प्रतिवेदन के साथ संलग्न सूची प्रेषित की। अनुविभागीय अधिकारी ने पत्र क्रमांक 842/भू–अर्जन/2014, देवसर दिनांक 28–04–2015 के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरों के संबंध में परीक्षण का उचित निर्णय लेने हेतु कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया। कलेक्टर सिंगरौली ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 05–06–2014 को प्रकरण दर्ज किया तथा इस आशय से सूचना जारी करते हुये आदेश पारित किया की आवेदकगण को आगामी नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमियों पर स्वत्व अर्जन के संबंध में साक्ष्याभिलेख यदि कोई हो, प्रस्तुत करते हुये पक्ष समर्थन कर सकते है। कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2014 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि विवादित भूमियों के भूमिस्वामियों से आवेदकगण द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्रों द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया था, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नमांतरण हो गया था। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण विवादित भूमि के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हितबद्ध व्यक्तियों को कारण बाताओ सूचना या किसी भी प्रकार की सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि संहिता की धारा 50 की उपधारा 5 के आज्ञापक उपबंध एवं धारा 41 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 7 के आज्ञापक उपबंधों के उल्लंघन होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा कि विवादित भूमियो का भू–अर्जन हो चुका है तथा भू–अर्जित भूमियों का प्रतिकर प्रदान किया जाना शेष है। अर्थात भूमि अर्जन 1894 की धारा 4,

6 एवं 9 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी सह भू—अर्जन अधिकारी के साक्ष्य में अग्राह्य प्रतिवेदन के आधार पर भूमियां शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 5—6—2014 निरस्त किया जाये।

4/ शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी, देवसर जिला सिंगरौली को भ्रमण के दौरान ग्रामिणों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम डोंगरी तहसील सरई की कतिपय शासकीय भूमियों के अभिलेखों में हल्का पटवारी द्वारा कई व्यक्तियों का निजी भूमिस्वामी स्वत्व बगैर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के ही अनाधिकृत रूप से दर्ज कर दी गई है। उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार, सरई से कराई गई। तहसीलदार सरई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के आधार पर प्रतिवेदन के साथ संलग्न सूची प्रेषित कर कलेक्टर से विधिवत जांच कर निर्णय लेने हेतु भेजा। कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को सूचना जारी की गई। कलेक्टर द्वारा अभी आवेदकगण के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश नहीं किया है। यह भी तर्क दिया कि पक्षकारों की अधिक संख्या होने के कारण समय—सीमा में सूचना प्राप्त हो इसलिए कलेक्टर द्वारा सूचना प्रकाशन के माध्यम से कराने के आदेश दिये थे, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर सिंगरौली द्वारा उपखण्ड अधिकारी सह भू—अर्जन अधिकारी, देवसर जिला सिंगरौली के पत्र दिनांक 28—4—14 के साथ तहसीलदार सरई का प्रतिवेदन जिसमें सूची में उल्लेखित भूमियों को बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के निजी स्वामित्व में दर्ज होना प्रतिवेदित किया था, के आधार पर आदेश दिनांक 5 जून 2014 को 189 व्यक्तियों को आगामी तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व अर्जन के संबंध में साक्ष्याभिलेख

प्रस्तुत करने हेतु सूचनापत्र जारी किया। इस सूचना पत्र के विरूद्ध 81 व्यक्तियों ने एक साथ इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। कलेक्टर सिंगरौली के उक्त आदेश के पैरा कमांक 4 में यद्यपि प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी की भूमिका में दर्ज अनावेदकगण का नाम विलोपित करते हुए अभिलेखों में पूर्ववृत म0प्र0 शासन दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है—'' ऐसा उल्लेख किया है परन्तु आदेश के अन्तिम पैरा 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि ''न्यायहित में अनावेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का एक अवसर दिया जाकर उक्त प्रविष्टियों के संबंध में अन्तिम निराकरण किया जाना आवश्यक है।'' इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर सिंगरौली द्वारा विचाराधीन भूमि के संबंध में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज व्यक्तियों को स्वत्व का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को कलेक्टर के समक्ष अपने भूमिस्वामी स्वत्व के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है। चूंकि उक्त भूमियों के भू—अर्जन में शामिल होने का उल्लेख प्रकरण में किया है अतः मुआवजा वितरण के पूर्व शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाना अवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। याचिकाकर्ता कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष भूमिस्वामी स्वत्व के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें तथा कलेक्टर सिंगरौली साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक रूप से उचित निर्णय लें। अधीनस्थ न्यायालया का अभिलेख वापस भेजा जाए।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर